रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28—मार्च 5, 2004 (फाल्गुन 9, 1925)
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28—MARCH 5, 2004 (PHALGUNA 9, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies[

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली-110066, दिनांक 12 फरवरी 2004

सं. सम्मेलन-5(8)2003/एम. पी/21384--कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ (1) के अनुसरण में जिसका यहां योजना के रूप में उल्लेख किया गया है, तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सम्मेलन 5(8)94/म. प्र./दिनांक 19.11.1997 का अतिक्रमण करते हुए अध्यक्ष,केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, मध्य प्रदेश राज्य के लिए एक क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :--

क्र. सं.	सदस्य का नाम तथा पदनाम	के रूप में नियुक्त
1	2	3
1.	प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश सरकार श्रम विभाग	अध्यक्ष [पैरा 4(1)(क) के अन्तर्गत]
2.	श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर	सरकारी सदस्य [पैरा 4(1)(ख) के अन्तर्गत]
3.	उद्योग आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल	सरकारी सदस्य [पैरा 4(1)(ख) के अन्तर्गत]
4.	श्री वी. के. देसाई, महा प्रबंधक, सुपर स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रा. लि., बी-15, पोलो ग्राउंड, इन्दौर	नियोक्ता के प्रतिनिधि [पैरा 4(1)(ग) के अन्तर्गत]
5.	श्री अरविन्द अग्रवाल, मानद सचिव, मध्य प्रदेश, चैम्बर आफ कामर्स, सनातन धर्म	"
6.	श्री. डी. पी. पाठक, एम. पी. विद्युत मंडल कर्मचारी संघ, कोतवाली वार्ड, जबलपुर	कर्मचारियों के प्रतिनिधि [पैरा 4(1)(घ) के अन्तर्गत]
7.	श्री मांगी लाल पोरवाल, महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, भोपाल	"

8.	डॉ0 आलोक साबू साबू भवन, नया बाजार, ग्वालियर-474009, मध्य प्रदेश	**नियोक्ता के प्रतिनिधि** **(स्कीम के पैरा 4(1) के परंतुक के अंतर्गत अतिरिक्त सदस्य)**
9.	श्री डी.डी. बंसल, डी,पंजाबी बाग, भोपाल, मध्य प्रदेश	
10.	श्री देवेन्द्र पटेल, 18/13, विजय नगर, देवास नाका, इन्दौर, मध्य प्रदेश	
11.	श्री मदन लाल रणजी, नबी बाग, बैरासिया रोड़, भोपाल, मध्य प्रदेश	**कर्मचारियों के प्रतिनिधि** **(स्कीम के पैरा 4(1) के परंतुक के अंतर्गत अतिरिक्त सदस्य)**
12.	श्री भगवान दास गोंडाने, 37, बक्शी गली, राजबाड़ा के पास, इन्दौर, मध्य प्रदेश	
13.	श्री संजय वैष्णवी, राम मन्दिर के पास, मेन रोड, बस स्टेन्ड, पीथमपुर, धार जिला, मध्य प्रदेश	

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, प्रभारी अधिकारी, मध्य प्रदेश क्षेत्र, क्षेत्रीय समिति के सचिव होंगे ।

क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सरकारी राजपत्र में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से 3 वर्ष का होगा , परन्तु प्रत्येक सदस्य तब तक कार्य करता रहेगा जब तक सरकारी राजपत्र में उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति अधिसूचित नहीं की जाती है ।

यह तत्काल रूप से प्रभावी होगा ।

संख्या - सम्मलेन-5(8)2003/एम.पी. 21384 दिनांक : 12 FEB 2004

(अजय सिंह)

सं. सम्मेलन-5(12)/2003/एच. आर./21437

सं0..... कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ (1) के अनुसरण में जिसको यहां योजना के रूप में उल्लेख किया गया है, तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सम्मेलन 5(2)95/एच.आर./1325 दिनांक 06.08.1997 का अतिक्रमण करते हुए अध्यक्ष केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, हरियाणा राज्य के लिए एक क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :-

क्र. सं0	सदस्य का नाम तथा पदनाम	के रूप में नियुक्त
1.	वित्तीय आयुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग चण्डीगढ़	**अध्यक्ष** (पैरा 4(1)(क) के अंतर्गत)
2.	श्रमायुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़	
3.	संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार वित्त विभाग, चण्डीगढ़	**सरकारी सदस्य** (पैरा 4(1)(ख) के अंतर्गत)
4.	श्री के.सी. लखानी मैसर्स लखानी फुटवियर्स, फरीदाबाद	
5	श्री भूपिन्द्र सिंह जौहर मैसर्स जमुना आटो लि0, यमुना नगर	**सदस्य नियोक्ता पक्ष** (पैरा 4(1)(ग) के अंतर्गत)
6	श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा, प्रधान मैसर्स श्री गोपाल पेपर मिल, आई.एन.एल.डी. श्रम प्रकोष्ठ, यमुना नगर	**सदस्य कर्मचारी पक्ष** (पैरा 4(1) (घ) के अंतर्गत)
7	श्री एच.एस. लाथेर, प्रधान, श्रमिक संघ, मारूति उद्योग, गुड़गांव	
8.	श्री आर.के. सोमानी, मैसर्स हिन्दुस्तान सैनिटरीवेयर एंड इंडस्ट्रीज लि., सिरेमिक डिवीजन, बहादुरगढ़-124507 झज्झर, हरियाणा	**केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य** **स्कीम के पैरा 4(1)ई के परंतुक के अंतर्गत**

9.	श्री डी.के. जैन, लक्ष्मी प्रिसीशन स्क्रू लिमिटेड हिसार रोड, रोहतक-124001 (हरियाणा)	नियोक्ता के प्रतिनिधि स्कीम के पैरा 4(1)के परंतुक के अंतर्गत
10.	श्री कुलबीर सिंह, हरि भूमि, दिल्ली रोड, रोहतक-124001, हरियाणा	
11.	श्री विजय जिन्दल, 1047, सेक्टर-15, फरीदाबाद, हरियाणा	
12.	श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा चिकारा इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, अशोका कॉम्पलेक्स के पीछे, दिल्ली रोड, रोहतक, हरियाणा	
13.	श्री राम लाल शर्मा, मकान नं0 1273, सेक्टर-18, फरीदाबाद, हरियाणा	कर्मचारियों के प्रतिनिधि स्कीम के पैरा 4(1)के परंतुक के अंतर्गत
14.	श्री जंग बहादुर यादव मकान नं0 397, सेक्टर-6, करनाल, हरियाणा	
15.	श्री पवन कुमार, चौधरी देवी लाल शॉपिंग कॉम्पलेक्स के पास, माल गोदाम रोड, पानीपत, हरियाणा	
16.	श्री करण सिंह, बी.एम.एस. कार्यालय, लाल भट्टी चौक, जी.टी. रोड, पानीपत, हरियाणा	

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, प्रभारी अधिकारी, हरियाणा क्षेत्र क्षेत्रीय समिति के सचिव होंगे ।

क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सरकारी राजपत्र में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से 3 वर्ष का होगा , परन्तु प्रत्येक सदस्य तब तक कार्य करता रहेगा जब तक सरकारी राजपत्र में उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति अधिसूचित नहीं की जाती है ।

यह तत्काल रूप से प्रभावी होगा ।

संख्या - सम्मलेन-5(12)/2003/एचआर/ 21437 दिनांक : 30/7/04

(अजय सिंह)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

वास्तुकला परिषद्

(वास्तुविद् अधिनियम , 1972 के अधीन गठित)
इंडिया हैबीटेट सेंटर , कोर 6 ए, प्रथम तल, लोदी रोड , नई दिल्ली –110 003

वार्षिक रिपोर्ट
2002–2003

वास्तुकला परिषद् जो कि वास्तुविद् अधिनियम , 1972 के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित किया गया एक सांविधिक निकाय है , 31–3–2003 को समाप्त वर्ष के लिए परीक्षित लेखा विवरण सहित अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ।

संगठनात्मक संरचना

वास्तुकला परिषद् प्रेसीडेंट के समूचे कार्यभार के अधीन काम करती है । प्रेसीडेंट की सहायता के लिए वाइस–प्रेसीडेंट होता है। रजिस्ट्रार प्रेसीडेंट और परिषद् की समितियों के सामान्य पर्यवेक्षण में सांविधिक कर्तव्य एवं कार्य निष्पादित करता है और उसके सहायक के रूप में एक प्रशासनिक अधिकारी होता है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय वास्तुकला परिषद् का नोडल मंत्रालय है।

परिषद् में सदस्यों के रूप में निर्वाचित एवं नामित प्रतिनिधि शामिल होते हैं यथा – केंद्रीय सरकार का एक नामिती, प्रत्येक राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नामित एक वास्तुविद् , भारतीय वास्तुविद् संस्थान के सदस्यों में से निर्वाचित पाँच प्रतिनिधि , वास्तुविद् संस्थाओं के प्रमुखों में से निर्वाचित पाँच व्यक्ति , अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नामित दो व्यक्ति , केंद्रीय लोक निर्माण विभाग तथा सैन्य इंजीनियरी सेवा , रक्षा मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय का मुख्य वास्तुविद् (पदेन) , इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा अपने सदस्यों में से नामित किए गए दो व्यक्ति और भारतीय सर्वेक्षक संस्था द्वारा अपने सदस्यों में से नामित किया गया एक व्यक्ति।

सांविधिक तथा अन्य समितियां :

वास्तुविद् अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उददेश्यों को पूरा करने के लिए परिषद् ने सांविधिक समितियाँ गठित की हैं , यथा – कार्यकारिणी समिति जो परिषद् के कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में काम करती है , अनुशासन समिति जो शिकायतों की जाँच-पड़ताल करती है और वास्तुविदों के व्यावसायिक कदाचार के संबंध में जाँच करती है , सलाहकार समिति (अपील) जो उन आवेदकों

की अपीलों की सुनवाई करती है जिनके पंजीकरण के मामले परिषद् के रजिस्ट्रार द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं तथा सामान्य या विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अन्य समिति। प्रेसीडेंट वास्तुकला परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है और वह कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता है। प्रेसीडेंट की सहायता के लिए वाइस प्रसीडेंट होता है और वह कार्यकारिणी समिति का उपाध्यक्ष भी होता है।

परिषद् और उसकी समितियों की बैठकें :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् की दो बैठकें हुई अर्थात् 40 वीं बैठक जो 12 और 13 अप्रेल, 2002 को आयोजित की गई और 41 वीं बैठक जो 17 और 18 जनवरी ,2003 को आयोजित की गई। कार्यकारिणी समिति की तीन बैठकें हुई अर्थात् 72 वीं बैठक जो 11–4–2002 को , 73वीं बैठक जो 25–9–2002 और 74वीं बैठक जो 10–3–2003 को आयोजित की गई। अनुशासन – समिति की बैठक 20 और 21 सितम्बर तथा 7 दिसम्बर , 2002 को आयोजित की गई। इनका उद्देश्य उन शिकायतों की सुनवाई करना था जो वास्तुविदों के अभिकथित व्यावसायिक कदाचार के विरूद्ध दायर की गई थीं और परिषद् द्वारा भेजी गई थीं। सुनवाई के बाद शिकायतकर्ताओं तथा प्रतिवादी वास्तुविदों ने परिषद् को उपयुक्त कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सलाहकार–समिति (अपील) की बैठकें 24–9–2002 , 21–11–2002 और 12–3–2003 को आयोजित की गईं। इनका उद्देश्य वास्तुविदों के रूप में पंजीकरण के लिए उनके आवेदन–पत्रों को अस्वीकार किए जाने के विरूद्ध की गई अपीलों पर विचार करना था। अपीलकर्ताओं की सुनवाई करने के बाद सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत की।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद् द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों और कार्रवाइयों का सारांश नीचे दिया जा रहा है :–

1.0 इमारत के ढह जाने की स्थिति में वास्तुविदों की देयता और जिम्मेदारी पर दस्तावेज :

परिषद् की 40वीं बैठक में परिषद् ने वास्तुविदों तथा प्रयोक्ता संगठनों/व्यक्ति–ग्राहकों के लिए दिशा–निर्देशों के रूप में संकल्प संख्या 302 के अनुसार "वास्तुविदों की व्यावसायिक देयता" पर दस्तावेज का अनुमोदन किया।

2.0 नियुक्ति शर्तों तथा प्रभार–स्केल पर दस्तावेज :

40वीं बैठक में परिषद् ने संकल्प संख्या 303 के अनुसार वास्तुविद् अधिनियम , 1972 की धारा 22 (1) और 25 (2) के साथ पठित वास्तुविद् (व्यावसायिक आचरण) विनियमावली, 1989 के विनियम 2 (1) (xii) के अनुसार विहित "वास्तुकलात्मक प्रैक्टिस–नियुक्ति की शर्तें एवं प्रभार–स्केल" पर दस्तावेज का अनुमोदन किया।

3.0 वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 3 की उपधारा 3 के खंड (घ) के अधीन नामित किए गए पदेन सदस्यों में से अनुशासन समिति के एक सदस्य को निर्वाचित करना:

परिषद् ने 41वीं बैठक में श्री सी. आर. साहा , मुख्य वास्तुविद् , सैन्य इंजीनियरी सेवा , रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को अनुशासन–समिति के सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। अब अनुशासन–समिति में श्री पी. आर. दास , श्रीमती मृदुला बनर्जी और श्री सी. आर. साहा शामिल होंगे जैसी कि धारा 3 की उप–धारा (3) के खंड (घ) के अधीन व्यवस्था की गई है अर्थात् रक्षा मंत्रालय (सै. इं. से.) , रेलवे तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुविदों में से एक सदस्य।

4.0 वास्तुविद् अधिनियम , 1972 की धारा 25 के अधीन पंजीकरण के लिए या अन्यथा आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए रजिस्ट्रार की सहायता हेतु प्रवेश समिति का पुनर्गठन करना :

41वीं बैठक में , परिषद् ने निम्नलिखित व्यक्तियों को अपने सदस्यों के रूप में नामित कर प्रवेश समिति का पुनर्गठन किया :

(I) श्री मिहिर मित्र कोलकाता
(II) श्री दिव्य कुश , नई दिल्ली

5.0 वास्तुकलात्मक शिक्षा:

परिषद् को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह कालेंजों/संस्थाओं में प्रदान की जा रही वास्तुकलात्मक शिक्षा का न्यूनतम स्तर बनाए रखने के संबंध में पर्यवेक्षण करेगी और वास्तुविद् अधिनियम , 1972 के उपबंधों के अधीन संस्थाओं के प्राधिकारियों तथा राज्य/केंद्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें भेजेगी। इसके अतिरिक्त, वास्तुकला परिषद् और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए आई सी टी ई) के बीच हस्ताक्षर किए गए ज्ञापन के अनुसार परिषद् की सिफारिशें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए आई सी टी ई) को भी भेजी जाती हैं जो उसके (ए आई सी टी ई) द्वारा उन संस्थाओं को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने की मंजूरी या अन्यथा देने से संबंधित होती हैं जिन्हें वास्तुकला में पंचवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

6.0 नई संस्थाओं का अनुमोदन – 2002 –2003:

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए आई सी टी ई) ने वास्तुकला में 5 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एक नई संस्था को अनुमोदन प्रदान किया । इसके साथ ही वास्तुकला में पंचवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं की संख्या बढ़कर 108 हो गई है जिनका वार्षिक प्रवेश 3662 है ।

7.0 शिक्षा सत्र 2002–2003 से आगे शिक्षा–सत्र के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाना :

कार्यकारिणी समिति ने सामान्यतः यह स्वीकार किया कि अनेक संस्थाओं में पूर्णकालिक संकाय की कमी है , संकाय अपर्याप्त है और कम्प्यूटिंग सुविधाओं का अभाव है और आधार – संरचना अपर्याप्त है । वास्तुकला परिषद् ने पिछले वर्ष 84 निरीक्षण किए। वास्तुकला परिषद् की सिफारिशों के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए आई सी टी ई) ने अनुमोदन की अवधि निम्नलिखित ढंग से या अन्यथा बढ़ाई :

i) वर्तमान प्रवेश संख्या को कायम रखते हुए वर्ष 2002–2003 से आगे प्रदान किए गए अनुमोदन की अवधि बढ़ाना : 65

ii) कम की गई प्रवेश संख्या सहित वर्ष 2002–2003 से आगे प्रदान किए गए अनुमोदन की अवधि बढ़ाना : 15

iii) वे संस्थाएं जिनमें वर्ष 2002–2003 के लिए "कोई प्रवेश नहीं" है : 6

8.0 वास्तुकला विद्यालयों का निरीक्षण :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान ऐसी 86 संस्थाएं थीं जिनका कि वास्तुविद् अधिनियम , 1972 के उपबंधों के अधीन सांविधिक निरीक्षण किया जाना था । तदनुसार, विशेषज्ञ समितियाँ गठित की गईं और 84 निरीक्षण किए गए । इन निरीक्षणों से संबंधित विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्ट प्राप्त की गई। इन रिपोर्टों को कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित किए गए पूर्व–स्नातक शिक्षा बोर्ड के समक्ष रखा गया जिसका उद्देश्य उक्त रिपोर्टों का अनुशोधन करना तथा संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए स्व–मूल्यांकन (भाग – I) , विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टों तथा विशेषज्ञों की पिछली रिपोर्टों के आधार पर कार्यकारिणी समिति को सिफारिशें करना था।

9.0 संकाय सदस्यों के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम :

परिषद् संकाय सदस्यों के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम से संबंधित अपने मिशन में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए आई सी टी ई) की सहायता करती रही है। इस संबंध में परिषद् ने अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। परिषद् संकाय सदस्यों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती रही है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् ने 14 अल्पकालिक पाठ्यक्रम संचालित किए और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 9 शिक्षकों का चयन किया।

10.0 अनुशासनिक कार्रवाई

वास्तुविद् (व्यावसायिक आचरण) विनियमावली, 1989 के अनुसार वास्तुविद् को उच्च स्तरीय व्यावसायिक आचरण एवं आचारनीति का पालन करना आवश्यक होता है। वास्तुविद् अधिनियम में यह उपबंध दिया गया है कि यदि किसी वास्तुविद् को जाँच-पडताल और उसको सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के बाद व्यावसायिक कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् ने 12 और 13 अप्रेल, 2002 को हुई अपनी 40वीं बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि श्री जी.एन. सोहनी, वास्तुविद् (पंजीकरण सं. सी ए /78/982), और श्री बी.डब्लू. धुमल, वास्तुविद् (सी ए /76/3231) को निलम्बित किया जाए और श्री सुरजीत नेगी वास्तुविद् की भर्त्सना की जाए क्योंकि उन्हे वास्तुविद् अधिनियम ,1972 के उपबंधों के अनुसार व्यावसायिक कदाचार का दोषी पाया गया था।

11.0 व्यावसायिक कदाचार के मामले

परिषद् ने 17 और 18 जनवरी ,2003 को आयोजित की गई अपनी 41वी बैठक में बार आफ कांउसिल के समक्ष पेश होने के लिए निम्नलिखित उन वास्तुविदों को बुलाने का निर्णय लिया जिन्हे वास्तुविद् अधिनियम ,1972 के उपबंधों के अनुसार व्यावसायिक कदाचार का दोषी पाया गया था ताकि उनके विरूद्ध कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हे सुनवाई और निवेदन करने का मौका दिया जा सके :–

(i) श्री विजेद्रन नादाराजाह, वास्तुविद्, चेन्नई
(ii) श्री गौतम मजूमदार, वास्तुविद्
(iii) श्री विनोद कुमार गुप्ता, वास्तुविद्, विनोद गुप्ता एंड एसोशिएट्स, दिल्ली।

12.0 अपंजीकरण के विरूद्ध दायर की गई अपीलों की सुनवाई

परिषद् ने 17 और 18 जनवरी, 2003 को हुई अपनी 41वीं बैठक में सलाहकार समिति (अपील) की 9 अपीलों से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त की और उस पर विचार किया। ये अपीलें रजिस्ट्रार के उस निर्णय के विरूद्ध की गई थीं जिसके आधार पर पंजीकरण के आवेदनों को अस्वीकर कर दिया गया था। आठों अपीलकर्ताओं की अपीलें रद्द कर दी गईं क्योंकि वे

पंजीकरण के लिए पात्र नहीं थे। जयपुर के श्री राहुल सिंघल की अपील पर परिषद् की अगली बैठक में विचार किया जाएगा क्योंकि उन्होंने सलाहकार समिति अपील के समक्ष कुछ दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण अपने मामले में सुनवाई स्थगति करने का निवेदन किया है।

13.0 वास्तुविद् रजिस्टर से वास्तुविदों के नाम हटाना और वास्तुविद् रजिस्टर में वास्तुविदों के नाम बहाल करना :

परिषद् ने 17 और 18 जनवरी , 2003 को हुई अपनी 41वीं बैठक में 33 वास्तुविदों के नाम उनके अनुरोध पर या उनका निधन होने पर वास्तुविद् रजिस्टर से हटा दिए ।

परिषद् ने 17 और 18 जनवरी , 2003 को हुई अपनी 41वीं बैठक में उन 1401 वास्तुविदों के नाम वास्तुविद्–रजिस्टर में बहाल कर दिए जिन्होंने अपेक्षित फीस अदा करके रजिस्टर में अपने नाम चढ़वा लिए थे।

14.0 वर्ष 2002–2003 के लिए बजट :

परिषद् ने 12 और 13 अप्रेल , 2002 को हुई अपनी 40वीं बैठक में वर्ष 2002–2003 के बजट अनुमानों , बजटित आय के रू0 91,86,000/– के आवर्ती व्यय तथा रू0 18,00,000/– के अनावर्ती व्यय का अनुमोदन किया।

15.0 व्यावसायिक आचरण विनियम,1989 का प्रवर्तन :

वास्तुकला परिषद् द्वारा यह देखा गया है कि सरकारी विभागों/उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों समेत प्रयोक्ता उद्योगों ने यह प्रैक्टिस अपना रखी है कि वे निविदाएं/वित्तीय बोलियां आमंत्रित करके तथा अनिवार्य शर्त के रूप में बयाना जमा करने का आग्रह कर वास्तुविदों को नियुक्त कर लेते हैं ताकि वास्तुकलात्मक सेवाएं/परामर्श उपलब्ध कराने के लिए उन्हें पात्र बनाया जा सके।

प्रैक्टिस कर रहे वास्तुविदों के अनुरोध पर परिषद् ने विभिन्न प्राधिकारियों यथा–राज्य सरकारों, नगर निगमों, नगरपालिकाओं विश्वविद्यालयों, आई आई टी दिल्ली, एयरपोर्ट अथार्टी आफ इंडिया, दिल्ली विकास प्राधिकरण, सी.डी.ओ.टी., गुरूगोविन्दसिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, ए.पी. पर्यटन विभाग निगम, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय को इस आशय के अनेक पत्र लिखे हैं कि वे वास्तुविदों से टेंडर लागत अदा करने, वास्तुकला परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम फीस के विपरीत न्यूनतम् फीस उद्धृत करने तथा बयाना जमा करने का आग्रह न करें क्योंकि इन शर्तों से वास्तुविदों का व्यावसायिक प्रैक्टिस से संबंधित अधिकार प्रतिबंधित होगा।

परिषद् ने व्यक्ति/कंपनी ग्राहकों को यह जानकारी भी दी है कि वास्तुविदों द्वारा नियुक्ति तथा प्रभार–स्केल से संबधित परिषद् की उन शर्तों का पालन किया जाना तथा माना जाना आवश्यक होगा जो वास्तुविद् (व्यावसायिक आचरण) विनियमावली, 1989 के विनियम 2 (1) (xii) के अधीन दी गई हैं। इन विनियमों के अनुसार साथी वास्तुविदों की प्रतिस्पर्धा में परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम् फीस के बजाय निम्नतम फीस उद्धृत करना भी निषिद्ध है। इस दृष्टि से उन्हें सलाह ही गई है कि वे न्यूनतम् व्यावसायिक फीस की अदायगी करने तथा वास्तुकला परिषद् द्वारा विहित नियुक्ति शर्तों का विधिवत् अनुपालन किए जाने पर वास्तुपरक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी वास्तुविद् की नियुक्ति करें।

16.0 वास्तुकलात्मक प्रतियोगिताएं :

परिषद् ने अपने द्वारा विहित किए गए वास्तुकलात्मक प्रतियोगिताओं के लिए दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए वास्तुकलात्मक डिजाइन प्रतियोगिताओं के संचालन में अनेक प्रवर्तकों यथा दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग , दिल्ली विकास प्राधिकरण , राष्ट्रीय प्रत्यायन तथा निर्धारण परिषद् , बंगलौर, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् , महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय , नवोदय समिति, विभिन्न नगर निगम तथा वैयक्तिक ग्राहकों आदि की उनकी परियोजनाओं के लिए सहायता की है। प्रवर्तकों और प्रतियोगियो ने प्रतियोगिताओं का संचालन करने तथा अपने हितों की रक्षा के लिए जब भी दिशा–निर्देश और निविष्टियों की माँग की उन्हें परिषद् द्वारा उपलब्ध कराया गया।

17.0 वास्तुविदों का पंजीकरण :

परिषद् अधिनियम की धारा 25 के अधीन वास्तुविद् के रूप में उस व्यक्ति का पंजीकरण करती है जो भारत में रहता हो और वास्तुविद् का व्यवसाय करता हो तथा उसके पास मान्यताप्राप्त वास्तुकलात्मक अर्हता हो।

वर्ष के दौरान 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक परिषद् ने वास्तुविदों के रूप में 1983 व्यक्तियों को पंजीकृत किया है। इस प्रकार , 31 मार्च,2003 तक वास्तुविदों के रूप में 30460 व्यक्तियों का पंजीकरण किया जा चुका है।

18.0 वास्तुविद् अधिनियम , 1972 का प्रवर्तन :

परिषद् ने राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों, स्थानीय निकायों तथा विकास प्राधिकरणों आदि को इस आशय के अनेक पत्र लिखे हैं कि वे विशेषत: निम्नलिखित के संबंध में वास्तुविद् अधिनियम , 1972 तथा वास्तुविद् (व्यावसायिक आचरण) विनियम , 1989 के उपबंधों का कार्यान्वयन करें : (i) वास्तुविद् की पदवी और शैली का संरक्षण : (ii) स्थानीय निकायों

द्वारा उन वास्तुविदों से आगे और पंजीकरण या फीस नहीं मांगी जाएगी जो वास्तुकला परिषद् में पंजीकृत हैं; (iii) वास्तुविदों के विशेषाधिकार की रक्षा करना ताकि वे वास्तुविद् का व्यवसाय कर सकें, और (iv) ऐसे किसी भी व्यक्ति को वास्तुविद् का लाइसेंस जारी नहीं किया जाना चाहिए जो वास्तुकला परिषद् में वास्तुविद् के रूप में पंजीकृत न हो।

परिषद् उन विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों को नोटिस जारी कर रही है जो वास्तुकला परिषद् में पंजीकृत नहीं हैं फिर भी, वास्तुविद् की पदवी और शैली का प्रयोग कर रहे हैं और अवैध रूप से वास्तुकलात्मक व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय में शिकायतें भी कर दी गई हैं ताकि जैसाकि अधिनियम में उपबंध दिया गया है, अपराधियों को दंड देने के लिए न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान लिया जा सके ।

19.0 वास्तुविद् की पदवी और शैली का दुरूपयोग :

परिषद् ने 17 और 18 जनवरी , 2003 को हुई अपनी 41वीं बैठक में निम्नलिखित उन व्यक्तियों के विरूद्ध उपयुक्त न्यायालय में आपराधिक शिकायत दर्ज कराने का संकल्प लिया जो 'वास्तुविद्' की पदवी और शैली का दुरूपयोग कर रहे थे और इस संबंध में वास्तुकला परिषद् के रजिस्ट्रार को प्राधिकृत किया :–

(i) श्री राजेंद्र जी0 नं0 400, न्यू डायगोनल रोड 5वां मेन, III ब्लाक, जयनगर, बंगलौर–560011,

(ii) श्री एस0 श्री निवास राव , मैनेजिंग पार्टनर, एस. एस. कन्सलटेंट्स, 17 और 9, जब्बार बिल्डिंग्स, बेगमपेट, हैदराबाद –16;

(iii) श्री एम. चंद्रशेखर, कार्यपालक निदेशक, एम. सी. कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्रा0 लिमि0, पंजीकृत कार्यालय 8–3–945/ए/6, प्रथम तल, अमीरपेट हैदराबाद–500073;

(iv) श्री भूदेव प्रसाद, मै0 शर्मा बिल्ड कन्सल्टेंट, आफिस एवं निवास एल आई जी –28, सेक्टर –10, सिकन्दरा, आगरा यू0पी0, और

(v) श्री संजीव शर्मा, स्तम्भ वास्तुशिल्प कार्यालय, 57 जयपुर हाउस मार्केट आगरा – 10 यू0 पी0 ।

20.0 प्रकाशन :

वास्तुकला परिषद् मै0 सेंटा मल्टीमीडिया लिमि0 मुबई के माध्यम से प्रत्येक महीने "आर्कीटेक्चर–टाइम, स्पेस एंड पीपल" नामक पत्रिका निकालती है। यह पत्रिका सभी पजीकृत वास्तुविदों को नि: शुल्क भेजी जा रही है। इस पत्रिका में परिषद् के कार्यकलापों तथा वास्तुकलात्मक व्यवसाय से संबंधित मुद्दों के विषय में उपयोगी सूचना दी जाती है।

21.0 वास्तुविद् अधिनियम , 1972 में संशोधन :

वास्तुकला परिषद् ने एडवोकेट की सहायता से उप–समिति द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों के अनुसार एक बृहत् दस्तावेज़ तैयार किया है । लेकिन विश्व व्यापार संगठन के "गेट्स" के अधीन वास्तुकलात्मक सेवाओं के संबंध में चल रही बातचीत को ध्यान में रखते हुए वास्तुकलात्मक सेवाओं के घरेलू विनियमों में उपबंध शामिल करते हुए आगे और संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न प्रकारों/विदेशी व्यवसायियों तथा विदेश स्थित भारतीयों के माध्यम से सेवा–पूर्ति को सुविधाजनक बनाया जा सके।

22.0 राष्ट्रीय भवन संहिता का परिशोधन :

भारतीय मानक ब्यूरो बी आई एस , नई दिल्ली ने भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता में परिशोधन करने का काम शुरू कर दिया है और इस प्रयोजन के लिए बी आई एस ने राष्ट्रीय भवन संहिता के विभिन्न भागों का परिशोधन करने के लिए विशेषज्ञों के अनेक पेनल गठित कर दिए हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो बी आई एस ने पेनल के सभी सदस्यों को भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता का प्रारंभिक प्रारूप : भाग–2 प्रशासन {एस पी 7 (2)} का परिशोधन , दस्ता0 : सी ई डी 46 (6075) परिचालित किया है। वास्तुकला परिषद् ने अपने पत्र संख्या सीए/28/2002/एनबीसी दिनांक 15–6–2002 के द्वारा विशेषत: वास्तुविदों, इंजीनियरों, संरचना इंजीनियरों, सर्वेक्षकों तथा नगर योजनाकारों की सक्षमता के विषय में अपनी टिप्पणी भेजी है। संबंधित मुद्दों और विभिन्न भवन उप–नियमों तथा विकास नियंत्रण विनियमों पर इस दस्तावेज के प्रभाव के संबंध में व्यापक परामर्श तथा मतैक्य प्राप्त करने के लिए परिषद् ने नई दिल्ली में 3–5–2002 और 7–6–2002 को चर्चाएं आयोजित कीं। चर्चा में 30 से भी अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया जिनमें आई आई ए तथा विकास प्राधिकरणों के प्रतिनिधि शामिल थे।

वास्तुकला परिषद् इस मामले में भारतीय मानक ब्यूरो के साथ निरंतर अन्योन्यक्रिया कर रही है ताकि भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता में किसी वास्तुविद् की सक्षमता को अन्य भवन व्यवसायियों यथा– इंजीनियरों, नक्शानवीसों ड्राफ्टसमैन, सर्वेक्षकों तथा इस व्यवसाय में लगे अन्य व्यक्तियों से भिन्न दिखाया जा सके।

23.0 विश्वव्यापार संगठन में व्यापार पर सामान्य करार :

वास्तुकला परिषद् विश्व व्यापार संगठन में सेवाओं में व्यापार पर सामान्य करार के अधीन वास्तुकलात्मक तथा संबद्ध सेवाओं से संबंधित परकामण के विषय में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय , भारत सरकार के साथ लगातार अन्योन्यक्रिया कर रही है। जैसा कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अपने सं0 : 34/5/2001–टीपीडी

दिनांक 26–2–2002 और 11–3–2003 के अनुसार चाहता था, वास्तुकला परिषद् ने "प्रारंभिक अनुरोध का प्रारूप" तैयार कर दिया है।

उपर्युक्त के संबंध में वास्तुकला परिषद् ने निम्नलिखित दस्तावेज तैयार कर दिए हैं:–

1. वास्तुकला परिषद् से वास्तुकला सेवाओं , नगर योजना तथा भू–दृश्य वास्तुकलात्मक सेवाओं का मसौदा प्रस्ताव।
2. 'गेट्स' के अधीन विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों से वचनबद्धताओं के लिए भारत का अनुरोध – 49 देशों को प्रेषित प्रारंभिक अनुरोध।

वाणिज्य तथा उद्योग मत्रालय , भारत सरकार के विशेषज्ञ–पेनल के सदस्य के रूप में वास्तुकला परिषद् के प्रेसीडेंट ने परकामणों की द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया। ये बैठकें 27 अक्तूबर और पहली नवम्बर , 2002 के बीच जेनेवा में हुई थीं।

जैसा कि भारत सरकार ने वास्तुकला सेवाओं और नगर योजना तथा भू–दृश्य वास्तुकलात्मक सेवाओं के विभिन्न सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठन से परामर्श करने की सलाह दी थी, वास्तुकला परिषद् ने 21 नवम्बर, 2002 को एक चर्चा का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता श्रीमती बेला बैनर्जी, संयुक्त सचिव (भाषा) माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने की। उक्त चर्चा में वास्तुकला परिषद् के अध्यक्ष ने व्यवसाय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की और जेनेवा में द्विपक्षीय बैठकों और बातचीत के दौरान प्राप्त किए गए अपने अनुभव बताए। इसके अतिरिक्त, वास्तुकला परिषद् ने भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली के ऑडीटोरियम में 17–1–2003 को एक चर्चा का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों ने की । उक्त चर्चा में वास्तुविद् संघों, दिल्ली से वास्तुकला परिषद् के विशेषज्ञों, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के विकास प्राधिकरणों तथा वास्तुकला प्रैक्टिस से संबंधित अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। इस चर्चा में परिषद् के सदस्यों ने भी भाग लिया।

वास्तुकला परिषद् ने 28–11–2002 को आयोजित की गई एक बैठक में जिसकी अध्यक्षता सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार ने की थी और उसके बाद आयोजित की गई एक अन्य बैठक में भी जिसकी अध्यक्षता अपर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार ने की थी, प्रस्तुति की।

वास्तुकला परिषद् ने विश्व व्यापार संगठन के 'गेट्स' के अधीन अन्य सदस्य देशों से अनुरोध और प्रस्ताव करने से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए उप–समितियाँ भी गठित की हैं ।

24.0 वास्तुकला पर फिल्में :

वास्तुकलात्मक शिक्षा तथा व्यवसाय को प्रोत्साहित करने और वास्तुविदों को वास्तुकला की नई प्रौद्योगिकियों एवं प्रगतियों से अवगत कराने के लिए, वास्तुकला परिषद् वास्तुकला पर फिल्मों को बढावा दे रही है और इंडिया हैबीटेट सेंटर , नई दिल्ली में विभिन्न विदेशी/भारतीय फिल्मों पर "फिल्म शो" आयोजित कर रही है।

25.0 आभार–प्रदर्शन :

वास्तुकला परिषद् मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों को उनके द्वारा परिषद् के कार्यकरण में दिए गए सहयोग के लिए और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय , भारत सरकार, नीपा , फिक्की , सी आई आई को विश्व व्यापार संगठन के ' गेट्स ' से संबंधित मामलों में उनके द्वारा की गई सहायता के लिए धन्यवाद करती है और उनकी सराहना करती है। परिषद् अपने पदाधिकारियों तथा सदस्यों, विशेषज्ञों, अन्य व्यावसायिक निकायों, प्रैक्टिस कर रहे वास्तुविदों तथा शिक्षाविदो के प्रति वास्तुविद् अधिनियम , 1972 के उद्देश्यों को बढावा देने में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग, मार्गदर्शन तथा सलाह के लिए आभार व्यक्त करती है।

परिषद् अपने लेखा परीक्षक, काउंसिल , अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने वर्ष 2002–2003 के दौरान उपयोगी सेवाएं की हैं।

विनोद कुमार

विनोद कुमार
रजिष्ट्रार

प्रकाश के0 प्रकाश
सनदी लेखाकार
बी–। सागर अपार्टमेन्ट्स, 6– तिलक मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन: 2338 2207, 233 88753, टेलीफैक्स: 91–11–23387377

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च , 2003 को "वास्तुकला परिषद" इंडिया हैबीटेट सेंटर , कोर 6–ए , प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली–110 003 के संलग्न तुलन–पत्र तथा 31 मार्च,2003 को ही समाप्त् वर्ष के आय–व्यय लेखा की परीक्षा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई लेखा बहियों और वाउचरों से कर ली है।

हम रिपोर्ट देते हैं कि :–

1. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें विश्वास है, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
2. हमारी राय में, जैसा कि हमारे द्वारा इन बहियों की जॉच करने से पता चलता है परिषद् ने विधि की अपेक्षाओं के अनुसार उचित लेखा बहियॉ रखी हुई हैं ;
3. इस रिपोर्ट में दिया गया तुलन–पत्र और आय–व्यय लेखा, लेखा–बहियों से मेल खाता है; और
4. हमारी राय में और जहॉ तक हमारी जानकारी है और हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं उनके अनुसार उक्त लेखा विवरण में

   क) 31 मार्च,2003 को परिष्द् की कार्यस्थिति के तुलन–पत्र; और

   ख) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष को व्यय से अधिक आय के आय–व्यय लेखे का वास्तविक एवं उचित चित्र प्रस्तुत किया गया है।

कृते प्रकाश. के. प्रकाश
सनदी लेखाकार
प्रकाश के. गुप्ता
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28–7–2003

प्रकाश के0 गुप्ता
बी. काम. एफ. सी. ए.

वित्तीय विवरणों का फार्म (लाभेतर संगठन)
वास्तुकला परिषद्
(वास्तुविद् अधिनियम,1972 के अधीन निगमित)
इंडिया हैबीटेट सेंटर , कोर 6ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली–110001

31 मार्च, 2003 को तुलन–पत्र

समग्र / पूंजीगत निधि तथा देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
रिजर्व तथा अधिशेष	2	1,09,29,514.50	1,08,76,666.20
उद्दिष्ट निधियां	3	3,45,49,965.00	2,16,91,665.00
असुरक्षित ऋण	5	1,50,000.00	1,50,000.00
चालू देयताएं	7	24,08,758.49	43,02,557.02
जोड़		4,80,38,237.99	3,70,20,888.22
परिसम्पत्तियाँ			
स्थायी परिसम्पत्तियां	8	57,16,792.20	56,33,113.62
निवेश – उद्दिष्ट निधियों से	9	2,93,50,970.00	1,89,50,970.00
निवेश–अन्य	10	47,70,000.00	49,70,000.00
चालू परिसम्पत्तिया, ऋण तथा पेशगियां	11	82,00,475.79	74,66,804.60
जोड़		4,80,38,237.99	3,70,20,888.22

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार
कृते प्रकाश. के. प्रकाश
सनदी लेखाकार

वास्तुकला परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह0 रजिस्ट्रार ह0 प्रेसीडेंट

ह0 प्रकाश के. गुप्ता
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2003

3-479GI/2003

वित्तीय विवरणों का फार्म (लाभेतर संगठन)

वास्तुकला परिषद्

(वास्तुविद् अधिनियम,1972 के अधीन निगमित)

इंडिया हैबीटेट सेंटर , कोर 6ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली–110001

31 मार्च, 2003 को समाप्त अवधि के लिए आय–व्यय लेखा

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
आय			
फीस	14	53,49,580.00	33,33,900.00
अर्जित ब्याज	17	29,47,323.00	23,92,619.85
प्रकाशन की बिक्री से आय	16	1,93,312.50	95,912.00
अन्य आय	18	1,04,741.00	4,482.00
जोड़ : क.		85,94,958.08,	58,26,913.85
व्यय:			
स्थापना व्यय	20	21,98,100.00	21,69,952.40
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	51,40,499.46	32,95,919.07
मूल्यह्रास	8	3,03,510.32	2,31,792.89
जोड़ : ख.		76,42,109.78	56,97,664.36
शेष–व्यय से अधिक आय (ए. बी)		9,52,848.30	1,29,249.49
रिजर्व और अधिशेष में अंतरित		52,848.30	29,249.49
उद्दिष्ट निधि में अग्रेनीत (गृ0 नि0 पे0/स्टाफ क्वार्टर्स निधि)		9,00,000,00	1,00,000.00

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार
कृते प्रकाश के0 प्रकाश
सनदी लेखाकार

वास्तुकला परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह0 रजिष्ट्रार ह0 प्रेसीडेंट ह0 प्रकाश के.गुप्ता
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 28.07.2003

वित्तीय विवरणों का फार्म (लाभेतर संगठन)
संस्था का नाम वास्तुकला परिषद
(वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन निगमित)

31 मार्च, 2003 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्तियां और अदायगियां

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	गत वर्ष	अदायगियाँ	चालू वर्ष	गत वर्ष
I) अथ शेष			I)व्यय		
क) हाथ रोकड़	15,250.00	6,600.00	क) स्थापना व्यय अनुसूची 20 के अनुरूप	21,98,100.00	21,69,952.40
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय अनुसूची 21 के अनुरूप	51,41,240.46	32,95,919.07
1) चालू खाते में	1 12,992 28	2,200.00			
2.) बचत खाते में	16,29,022.17	28,36,141.26			
3) मौजूदा डाफ्ट्स	3,44,512.00	1,02,760.00	II)विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से की गई अदायगियां		
			क) आपातकालीन व्यय	1,57,300.64	1,23,16,143.36
II) प्राप्त निधियां			ख) क्यू आई पी व्यय	22,64,059.30	15,51,446.01
क) आपातकालीन निधि प्राप्तियां			ग) मूल्याकन तथा निरीक्षण	32,04,192.40	26,93,695.70
ख) क्यू आई पी सहभागीता फीस	2,03,500.00	97,79,534.00	घ) वास्तुविद्–डाइरेक्टरी का व्यय	26,23,271.00	4,19,248.00
ग) मूल्यांकन /निरीक्षण फीस	30,15,000.00	2,77,402.00	ङ) माध्यमस्थम् व्यय	29,859.00	1,84,641.00
घ) वास्तुविदों की डाइरेक्टरी के लिए विज्ञापन	14,47,953.00	29,90,000.00	च) पहचान व्यय	13,317.00	44,078.00
ङ) माध्यमस्थम् फीस	25,500.00	10,71,547.00	छ) पाठ्यचर्या गतिविधिया व्यय	–	2,11,261.55
च) पहचान–पत्र फीस	16,380.00	1,18,500.00	ज) अस्थायी शेल्टर विकास व्यय	–	3,03,940.40
छ) डी यू ए सी कार्यशाला के लिए पेशगी	96,950.00	32,160.00	झ) कार्यशाला व्यय	2,17,100.00	–
ज) क्यू आई पी के लिए सहायता अनुदान	21,98,795.60	1,20,150.00	ञ) निरीक्षण प्रभार	1,78,996.00	–
		–			
III) निम्नलिखित से निवेश पर आय			III)किए गए निवेश तथा जमा		
क) उद्दिष्ट /अक्षय निधियां	–	–	क) उद्दिष्ट निधियों से	1,49,50,970.00	67,50,000.00
ख) निजी निधियां अन्य निवेश		–	ख) निजी निधियों से निवेश–अन्य	15,00,000.00	–
IV) प्राप्त ब्याज			IV)स्थायी परिसम्पत्तियों तथा पूंजीगत चल रहे कार्य पर व्यय		
क) बैंक जमा पर			क) स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	4,54,429.00	1,88,543.00
ख) ऋण, पेशगियां आदि	25,75,410.85	20,31,840.85			
ग) बचत बैंक खाते पर	2,307.00	4,039.00	V)अन्य अदायगियां		
	25,404.00	13,776.00	क) बैंक/कंपनियों द्वारा काटा गया टी डी एस	1,36,932.00	1,13,822.00
V) फीस से आय			ख) स्टाफ को पेशगियां	10,80,300.00	24,44,860.00
क) पंजीकरण फीस	10,65,800.00	6,05,600.00	ग) अन्य पेशगियां	5,62,965.50	4,36,617.38
ख) वार्षिक नवीकरण फीस	26,81,880.00	19,01,040.00	घ) ए आई सी टी ई से प्राप्त कार्यशाला व्यय	–	1,25,554.00
ग) रेस्टोरेशन फीस	14,92,800.00	7,72,700.00	ङ) लेखागत पार्ट फीस	81,005.00	–
घ) दूसरी प्रति प्रमाणपत्र फीस	87,200.00	54,560.00	च) टी डी आर पर उपचित ब्याज	4,89,467.00	–
ङ) अतिरिक्त अर्हता फीस	200.00	–			
च) वास्तुविद् से जुर्माना	21,700.00	–	VI).अंत शेष		
			क) हाथ रोकड़	55,750.00	15,250.00
			ख) बैंक शेष		

VI)अन्य आय			i). चालू खाते में	3,10,370.38	2,000.00
क) विविध प्राप्तियां	5,201.00	4,482.00	ii) बचत बैंक खाते में	11,99530.12	17,40,014.45
ख) प्रकाशनों से आय	1,90,312.50	95,912.00	iii). मौजूदा ड्राफ्ट्स	2,80,518.00	3,44,512.00
ग) पत्रिका की राएल्टी	1,00,000.00	–			
घ) आय कर विभाग द्वारा वापस किया गया टी डी एस	1,05,998.00	–			
VII)अन्य प्राप्तियां					
क) एक बारगी फीस	1,19,58,300.00	88,68,550.00			
ख) वर्ष के दौरान परिपक्व एफ डी आर	62,50,970.00	19,60,000.00			
ग) उपस्करों की बिक्री	5,921.27	700.00			
घ) लेखागत पार्ट फीस	–	5,71,770.00			
ङ) वसूल की गई पेशगियां	14,50,835.30	11,29,534.21			
च) सी डी/ बीडीओ फिल्मों की बिक्री	3,000.00	–			
छ) परिसम्पत्तियों की बिक्री से आय	578.73	–			
जोड	3,71,29,672.80	3,53,51,498.32	जोड	3,71,29,672.80	3,53,51,498.32

वास्तुकला परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह0 रजिस्ट्रार ह0 ×.ीडेंट

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 28-07-2003

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार

कृते प्रकाश के0 प्रकाश
सनदी लेखाकार

ह0 प्रकाश के0 प्रकाश

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
New Delhi-110066, the 12th February 2004

No. Conf. 5(8) 2003/MP/21384

No._____In accordance with the provisions of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952, hereinafter referred to as "Scheme", and in supersession of the Notification No. Conf. 5(8)/94/MP Dated 19.11.1997 issued by the Central Provident Fund Commissioner, New Delhi, the Chairman, Central Board of Trustees, Employees' Provident fund hereby sets up a Regional Committee for the State of Madhya Pradesh consisting of the following persons namely:-

Sl. No.	Name & Designation	Recommended for appointment as(under relevant para)
1.	The Principal Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Labour Deptt,.	**Chairman** [Under Para 4(1)(a)]
2.	Labour Commissioner, Madhya Pradesh Indore.	**Official Members** [Under Para 4(1)(b)]
3.	Industry Commissioner, Madhya Pradesh, Bhopal.	
4.	Shri V. K. Desai, General Manager, Super Steel Manufacturing Pvt. Ltd., B-15, Polo Ground, Indore.	**Employer's Representatives** [under Para 4(1)(c)]
5	Shri Arvind Aggarwal, Honorary Secretary, Madhya Pradesh Chamber of Commerce, Sanatan Dharam	
6.	Shri D. P. Pathak, M.P. Vidhut Mandal Karamchari Sangh, Kotwali Ward, Jabalpur.	**Employees' Representatives** [Under Para 4(1)(d)]
7.	Shri Mangilal Porwal, Mahamantri, Bhartiya Mazdoor Sangh, Bhopal.	

8.	Dr. Alok Saboo Saboo Bhawan, Naya Bazar Gwalior – 474 009, Madhya Pradesh.	**Employer's Representatives (Additional members under Proviso to Para 4(1) of the Scheme)**
9.	Shri D.D. Bansal D, Punjabi Bagh, Bhopal, Madhya Pradesh.	
10.	Shri Devendra Patel 18/13, Vijay Nagar, Devas Naka, Indore, Madhya Pradesh.	
11.	Shri Madanlal Ranji Nabi Bagh, Bairasia Road Bhopal, Madhya Pradesh.	**Employees' Representatives (Additional members under Proviso to Para 4(1) of the Scheme)**
12.	Shri Bhagwan Das Gondane 37, Bakshi Gali, Near Rajbara Indore, Madhya Pradesh	
13.	Shri Sanjay Vaishnavi Near Ram Mandir, Man Road, Bus Stand, Pithampur, Dhar District, Madhya Pradesh.	

The Regional Provident Fund Commissioner, In- charge of Madhya Pradesh Region shall be the Secretary of the Regional Committee.

The term of office of the Chairman and every member of the Regional Committee shall be three years commencing on and from the date on which their appointment is notified in the official Gazette. However, every member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

This will come into force with immediate effect.

No. Conf.5 (8) 2003/MP / 9384 **Dated:** 12 FEB 2004

(AJAI SINGH)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

No. Conf. 5(12)2003/HR/21437

No._____In accordance with the provisions of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952, hereinafter referred to as "Scheme", and in supersession of the Notification No. Conf. 5(12)95/HR/1325 Dated 06.08.1997 issued by the Central Provident Fund Commissioner, New Delhi, the Chairman, Central Board of Trustees, Employees' Provident fund hereby sets up a Regional Committee for the State of Haryana consisting of the following persons namely:-

Sl. No.	**Name & Designation**	**Recommended for appointment as(under relevant para)**
1.	Financial Commissioner and Principal Secretary to Govt. of Haryana, Labour and Employment Department, Chandigarh.	**Chairman** [under para 4(1)(a)]
2.	Labour Commissioner, Haryana, Chandigarh.	**Official Members** [under para4(1)(b)]
3.	Joint Secretary to Govt. of Haryana, Finance Department, Chandigarh.	
4.	Shri K.C. Lakhani M/s. Lakhani Footwears, Faridabad.	**Employer's Representatives** [under para 4(1)(c)]
5.	Shri Bhupinder Singh Johar, M/s. Jamuna Auto Ltd, Yamuna Nagar.	
6.	Shri Durga Parshad Mishra, Pardhan, M/s. Shri Gopal Paper Mill, INLD, Labour Cell, Yamuna Nagar.	**Employees' Representatives** [under para 4(1)(d)]
7.	Shri H. S. Lather, Pardhan Labour Union, Maruti Udyog, Gurgaon.	
8.	Shri R. K. Somany, M/s. Hindustan Sanitaryware & Industries Limited., Ceramic Division, Bahadurgarh -124 507, Jhajjar, Haryana.	**Non-Official Members being members of Central Board of Trustees** [under para 4(1)(e)]

9.	Shri D.K.Jain Lakshmi Precision Screws Limited Hisar Road, Rohtak – 124 001 (Haryana)	
10.	Shri Kulbir Singh Hari Bhoomi, Delhi Road Rohtak – 124 001, Haryana	**Employer's Representative (Additional members under Proviso to Para 4(1) of the Scheme)**
11.	Shri Vijay Jindal, 1047, Sector –15 Faridabad, Haryana	
12.	Shri Surendra Singh C/o Chhikara Investments Limited Opp. Ashoka Complex, Delhi Road Rohtak, Haryana	
13.	Shri Ram Lal Sharma House No. 1273, Sector – 18 Faridabad, Haryana	
14.	Shri Jang Bahadur Yadav House No. 397, Sector –6, Kamal, Haryana	**Employees' Representative (Additional members under Proviso to Para 4(1) of the Scheme)**
15.	Shri Pawan Kumar, Near Chaudhary Devi Lal Shopping Complex Mall Godown Road, Panipat, Haryana.	
16.	Shri Karan Singh BMS Office, Lal Batti Chowk G.T.Road, Panipat, Haryana	

The Regional Provident Fund Commissioner, In- charge of Haryana Region shall be the Secretary of the Regional Committee.

The term of office of the Chairman and every member of the Regional Committee shall be three years commencing on and from the date on which their appointment is notified in the official Gazette. However, every member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

This will come into force with immediate effect.

No. Conf.5 (12) 2003/HR / 21437 **Dated:** 12.2.04

(AJAI SINGH)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(Constituted under the Architects Act, 1972)
India Habitat Centre, Core-6A, First Floor
Lodhi Road, New Delhi – 110 003

ANNUAL REPORT
2002 – 2003

The Council of Architecture, a statutory body constituted by the Ministry of Human Resource Development, Government of India under the Architects Act, 1972, deems it a pleasure to present the Annual Report and Audited Statement of Accounts for the year ended on 31.03.2003.

Organisational Structure :

The Council of Architecture functions under the overall charge of the President, who is assisted by the Vice-President. The Registrar performs the statutory duties and functions and is assisted by the Administrative Officer under the general supervision of the President and Committees of the Council.

The Union Ministry of Human Resource Development is the nodal ministry of the Council of Architecture.

The Council consists of elected and nominated representatives as members, namely, a nominee of the Central Government, an architect nominated by each State Government and Union Territory, five representatives elected from amongst members of the Indian Institute of Architects, five persons elected from amongst heads of architectural institutions, two persons nominated by the All India Council for Technical Education, the Chief Architect (ex-officio) of Central Public Works Department and Military Engineering Services, Ministry of Defence & Ministry of Railways, two persons nominated by Institution of Engineers (India) from among its members and one person nominated by the Institution of Surveyors of India from among its members.

Statutory and Other Committees :

In order to carry out the objectives of the Act and Regulations framed thereunder, the Council constituted the statutory committees, namely, the Executive Committee, which functions as an Executive Authority of the Council, Disciplinary Committee, which investigates the complaints and holds enquiries relating to professional misconduct of architects, Advisory Committee (Appeals), which hears the appeals of the applicants whose cases were rejected for registration by the Registrar of the Council and such other committee for general or specific purposes. The President presides the meetings of the Council of Architecture and he is the Chairman of the Executive Committee. The President is assisted by the Vice-President, who is also the Vice-Chairman of the Executive Committee.

Meetings of the Council and its Committees :

During the year under report, the Council met twice i.e. 40th Meeting held on 12th & 13th April, 2002 and 41st Meeting held on 17th & 18th January, 2003. The Executive Committee met thrice i.e. 72nd meeting on 11.04.2002, 73rd meeting on 25.09.2002 & 74th meeting on 10.03.2003. The Disciplinary Committee met on 20th & 21st September and 7th December, 2002, to hear the complaints filed against architects for alleged professional misconduct, as referred to it by the Council and upon hearing the complainants as well as the respondents-architects submitted its report to the Council for appropriate action. The Advisory Committee (Appeals) met on 24.09.2002, 21.11.2002 and 12.03.2003 to consider the appeals filed against rejection of their applications for registration as architects and upon hearing the appellants, it submitted the report for consideration of the Council.

4-479 GI/2003

The various decisions and actions taken by the Council and the aforesaid committees during the year under report are summarized as under :

1.0 Document on Architects Liability and Responsibility in the event of Building Collapse :

At the 40th Meeting, the Council approved the document on "Architect's Professional Liability" vide Resolution No. 302, as guidelines to the Architects and the user organizations/ individual clients.

2.0 Document on Conditions of Engagement and Scale of Charges :

At the 40th Meeting, the Council approved the document on "Architectural Practice – Conditions of Engagement and Scale of Charges", prescribed pursuant to Regulation 2 (1) (xii) of the Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989, read with Section 22 (1) and 25 (2) (i) of the Architects Act, 1972, vide Resolution No. 303.

3.0 To elect a member of the Disciplinary Committee from amongst ex-officio members of the Council nominated under clause (d) of Sub-Section (3) of Section 3 of the Architects Act, 1972 :

At the 41st Meeting, the Council unanimously elected Shri C. R. Saha, Chief Architect, MES, Ministry of Defence, Govt. of India, as member of the Disciplinary Committee. The Disciplinary committee shall now comprise of Shri P.R. Das, Smt. Mridula Banerji and Shri C.R. Saha, as provided under clause (d) of Sub-Section (3) of Section 3 (i.e. one member from amongst the Chief Architects of Ministry of Defence (MES), Railways and CPWD.

4.0 To reconstitute the Admission Committee for assisting the Registrar for considering applications for registration or otherwise u/s 25 of the Architects Act, 1972.

At the 41st Meeting, the Council re-constituted the admission committee by nominating the following persons as its members:

(I) Shri Mihir Mitra, Kolkata
(II) Shri Divya Kush, New Delhi

5.0 Architectural Education:

The Council has been charged with the responsibility to oversee the maintenance of Minimum Standards of Architectural Education being imparted at colleges/institutions and to make its recommendations to the authorities of the institutions as well as State/Central Government under the provisions of the Architects Act, 1972. Further, in terms of Memorandum signed between the Council of Architecture and the All India Council for Technical Education (AICTE), the Council's recommendations are also forwarded to AICTE for grant of extension of approval or otherwise by AICTE to the institutions who have been granted approval to conduct five year degree course in architecture.

6.0 Approval of New Institutions – 2002–03 :

During the year under report, one new institution was granted approval by AICTE to introduce 5-year degree course in Architecture. With this, the total number of institution imparting five-year degree course in architecture has risen to 108 with an annual intake of 3662.

7.0 Extension of Approval for academic session 2002-2003 onwards:

The Executive Committee recognized that, in general, there is a shortage of full-time faculty, inadequate faculty and computing facilities and inadequate infrastructure available with the large number of institutions. Council of Architecture had conducted 84 inspections for the previous year. On the basis of recommendations of COA, AICTE granted extension of approval or otherwise as under:

i) Extension of approval granted for 2002-2003 onwards retaining existing intake: 65

ii) Extension of approval granted for 2002-2003 onwards with reduced intake : 15

iii) Institutions put on 'No Admission' for 2002-2003 : 6

8.0 Inspections of Schools of Architecture:

During the year under report, 86 institutions were due for statutory inspection to be carried out under the provisions of the Architects Act, 1972. Accordingly, Experts Committees were constituted and 84 inspections were carried out and the Expert Committees' reports for these institutions were received. These reports were placed before the Board of Undergraduate Education constituted by the Executive Committee to moderate the reports and to make its recommendations to Executive Committee on the basis of Self-Appraisal (Part-I) submitted by the institutions, reports of the Experts Committees and the previous reports of the experts.

9.0 Quality Improvement Programme for Faculty Members:

The Council has been assisting the AICTE in its mission of Quality Improvement Programme for faculty members. In this connection, Council has initiated conduct of Short Term Courses. The Council has been encouraging faculty members to avail AICTE's scholarship for acquiring higher qualification. During the year under report, 14 short-term courses were conducted and 9 teachers were selected by Council to avail higher education.

10.0 Disciplinary Action:

An architect is required to observe the standard of professional conduct and ethics, in terms of the Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989. The Act provides for taking action against an architect who is found guilty of professional misconduct upon investigation and after providing opportunity of being heard to the architect.

During the year under report, the Council at its 40th meeting held on 12th & 13th April, 2002, unanimously decided to suspend Shri G. N. Sohoni, Architect, (Registration No.CA/78/982), Shri B. W. Dhumale, Architect (CA/76/3231) and reprimanded Shri Surjit S. Nagi, Architect, as they were found guilty of professional misconduct in terms of the provisions of the Architects Act, 1972.

11.0 Cases of Professional Misconduct:

At the 41st meeting held on 17th & 18th January, 2003, the Council decided to summon the following architects to appear before the Bar of the Council, who were found guilty of professional misconduct in terms of the provisions of the Architects Act, 1972, so as to provide them opportunity of being heard and to make their submissions before initiating action on them:

(i) Shri Wijendran Nadarajah, Architect, Chennai ; (ii) Shri Gautam Mazumder, Architect; (iii) Shri Vinod Kumar Gupta, Architect, Vinod Gupta & Associates, Delhi.

12.0 Hearing of appeals filed against non-registration:

The Council received and considered the report of the Advisory Committee (Appeals) of 9 cases of appeal against the decision of the Registrar rejecting applications for registration at its 41st meeting held on 17th and 18th January, 2003. Appeals of all the 8 appellants were rejected as they were not eligible for registration. The appeal of Shri Rahul Singhal from Jaipur will be considered at the next meeting of the Council as he sought adjournment of hearing of his case for want of submission of some documents before Advisory Committee (Appeals).

13.0 Removal of names of the Architects from the Register of Architects and Restoration of names of architects to the Register of Architects:

The Council at its 41st meeting held on 17th & 18th January, 2003, removed the names of 33 architects upon their request or consequent upon their death.

The Council at its 41st meeting held on 17th & 18th January, 2003, restored the names of 1401 architects who have got their names restored on payment of requisite fees, to the Register of Architects.

14.0 Budget for the year 2002-2003 :

The Council, at its 40th meeting held on 12th & 13th April, 2002, approved the budget estimates for the year 2002-2003, recurring expenditure to the extent of Rs. 91,86,000/- and non-recurring expenditure to the extent of Rs. 18,00,000/-, against the budgeted income receivable amounting to Rs. 1,12,75,000/-.

15.0 Enforcement of the Professioual Cônduct Regulations, 1989 :

It has been noticed by the Council of Architecture that user industries including govemment department/ undertakings and local bodies have been continuing with the practice of engaging architects by inviting tenders/ financial bids and insisting to deposit earnest money, as mandatory conditions, in order to make them eligible for providing architectural services/ consultancy.

At the instance of the practising architects, the Council has written numerous letters to various authorities namely, State Governments, Municipal Corporations, Municipal Councils, Universities, IIT Delhi, Airport Authority of India, Delhi Development Authority, C-DOT, Guru Govind Singh Indraprastha University, National Open School, A.P Tourism Development Corporation, Mahatma Gandhi Hindi International Hindi Visvavidyalaya, as to not to insist architects to pay tender cost ; quote lowest fees contrary to the minimum fees prescribed by the Council of Architecture and deposit of earnest money, as these conditions will put restrictions on architects right to practice the profession.

The Council has also brought to the notice of the individual/ corporate clients that the architects are required to observe and uphold the Council's conditions of engagement and scale of charges as provided under Regulation 2(1) (xii) of the Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989. These regulations also prohibit quoting of lower fees than the minimum fees prescribed by the Council in competition with fellow architects. In view of this, they have been advised to engagement of an architect for providing architectural services on payment of minimum professional fees and in due compliance of the conditions of agreement as prescribed by the Council of Architecture.

16.0 Architectural Competitions :

The Council has assisted a number of promoters in the conduct of the architectural design competitions, namely, Public Works Department of Government of Delhi, Delhi Development Authority, National Accreditation and Assessment Council, Bangalore, All India Council for Technical Education, Mahatma Gandhi International Hindi Visvavidyalaya, Navodaya Vidyalaya Samiti, various Municipal Corporation and Individual Clients etc. for their projects in compliance with the architectural competitions guidelines prescribed by it. The guidelines and inputs required by the promoters and competitors in the conduct of the competitions and also to safeguard their interests, were made available by the Council whenever sought for.

17.0 Registration of Architects :

The Council registers a person as an architect under Section 25 of the Act, who resides or carries on the profession of architecture in India and holds a recognized architectural qualification.

During the year (1st April, 2002 to 31st March, 2003), the Council has registered 1983 persons as architects and with this as on 31st March, 2003, 30460 persons have been registered as architects.

18.0 Enforcement of the Architects Act, 1972 :

The Council has written numerous letters to the Chief Secretaries of State Governments and Local Bodies and Development Authorities, etc. for implementing the provisions of the Architects Act, 1972 and the Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989, in particular regarding : (i) the protection of title and style of architect : (ii) no further registration or fees are asked by the Local Bodies from the architects registered with the Council of Architecture ; (iii) to protect the privilege of architects to pursue their profession of architecture ; and (iv) Architect's licence should not be issued to any person who is not registered as an architect with the Council of Architecture.

Council is issuing notices to various individuals/ firms using the title and style of architect without being registered with the Council of Architecture and carrying on the architectural profession illegally. Criminal complaints have also been filed against such persons, in the Court of Law for taking cognizance of the offences by the Court for punishing the malefactors, as provided under the Act.

19.0 Misuse of Title and Style of 'Architect' :

The Council at its 41st meeting held on 17th & 18th January, 2003, resolved to file criminal complaint against the following persons, who are misusing the title and style of 'Architect', in the appropriate Court of Law and authorized the Registrar of the Council of Architecture in this behalf:

(i) Shri Rajendra G., No. 400, New Diagonal Road, 5th Main, III Block, Jayanagar, Bangalore-560011; (ii) Shri S. Srinivas Rao, Managing Partner, S. S. Consultants, 17 & 9, Jabbar Buildings, Begumpet, Hyderabad –16 ; (iii) Shri M. Chandrashekhar, Executive Director, MC Consulting Engineers (P) Ltd., Regd. Office : 8-3-945/A/6, 1st Floor, Ameerpet, Hyderabad – 500 073 ; (iv) Shri Bhoodev Prasad, M/s. Sharma Build Consultant, Off. & Resi. LIG-28, Sector 10, Sikandara, Agra (U.P.) and (v) Shri Sanjiv Sharma, Stambha Vastushilpa, Office : 57, Jaipur House Market, Agra – 10 (U.P.).

20.0 Publications:

Council of Architecture is publishing a magazine titled "architecture - time space & people" is being published every month through M/s. Spenta Multimedia Ltd., Mumbai. This is being sent free of cost, to all the registered architects and it provides useful information about the activities of the Council and issues concerning architectural profession.

21.0 Amendments to the Architects Act, 1972 :

Council of Architecture has prepared a comprehensive document as per the recommendations submitted by a sub-committee for the same, with the help of an advocate. However, in the light of ongoing negotiations on Architectural Services under GATS of WTO the domestic regulations for the Architectural Services sector requires further amendments to incorporate the provisions to facilitate supply of services through various modes/ professionals of foreign countries as well as supply of services by Indians in abroad.

22.0 Revision in National Building Code

The Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi has taken up the revision in the National Building Code of India and for this purpose, BIS has constituted a number of panels of experts for revising different parts of the National Building Code.

The BIS has circulated the Preliminary Draft National Building Code of India: Part 2 Administration [Revision of SP 7 (2)], Doc : CED 46 (6075) to all members on the panel. Council of Architecture vide its letter no. CA/28/2002/NBC dated 15.06.2002 has sent its comments, particularly on the competence for Architects, Engineers, Structural Engineers, Supervisors and Town Planners. In order to have wider consultations and consensus on the issues involved and the impact of the document on the various building bye-laws and development control regulations, Council organized discussions on 03.05.2002 and 07.06.2002, at New Delhi. Over 30 experts participated in the discussion including representatives of the IIA and Development Authorities.

Council of Architecture is continuously interacting in the matter with the Bureau of Indian Standards so that the competence of an Architect can be distinguished from other building professionals such as Engineers, Draughtsman, Surveyors, other persons engaged in the profession, in the National Building Code of India.

23.0 General Agreement on Trade in Services in World Trade Organisation :

The Council is continuously interacting with the Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Human Resource Development, Government of India, in regard to negotiations relating to the architectural and allied services under General Agreement on Trade in Services at WTO. As desired by Ministry of Commerce and Industry vide their communication no. 34/5/2001-TPD dated 26.02.2002 and 11.03.2002, Council of Architecture has prepared "DRAFT INITIAL REQUEST".

With regard to the above, Council of Architecture has prepared the following documents:

1. Draft proposal of India - Trade in Architectural Services, Urban Planning and Landscape Architectural Services, from the Council of Architecture.
2. India's request for commitments from member countries of WTO under GATS - initial request addressed to 49 countries.

The President, Council of Architecture as a member of panel of experts of Ministry of Commerce & Industry, Government of India has attended the bilateral meetings for negotiations, held at Geneva between 27th October, & 1st November, 2002.

As advised by the Government of India to hold consultations with various government and non-governmental organisations for architectural services and urban planning & landscape architectural services, the Council organised a discussion on 21st November, 2002, which was chaired by Mrs. Bela Banerji, Joint Secretary (L), Department of Secondary & Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India, in which President, COA, has made a presentation of issues concerning the profession and to share his experiences during bilateral meetings and negotiations at Geneva. Further, the Council has arranged a discussion on 17.01.2003 at 6.00 p.m., Chaired by officials of the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, in the Auditorium of Indian National Science Academy, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi, inviting the Associations of Architects, COA Experts from Delhi, Representatives of Development Authorities in and around Delhi and other agencies connected with architectural practice. Council members have also participated in this discussion.

Council of Architecture has also made presentations in a meeting Chaired by the Secretary, Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary & Higher Education, Govt. of India, on 28.11.2002 and subsequently at another meeting Chaired by Additional Secretary, also before the Additional Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary & Higher Education, Govt. of India.

Council of Architecture has also constituted sub-committees to deal with the issues of making requests and offers to other member countries under GATS of WTO.

24.0 Films on Architecture :

In order to promote architectural education and profession and to acquaint the architects with the new technologies and advancements made in the industry, the Council of Architecture is promoting the films on architecture and organizing films shows of various foreign / Indian films for architects at India Habitat Centre, New Delhi.

25.0 Acknowledgement :

The Council of Architecture would like to place on record its appreciation and thanks to the officers of the Ministry of Human Resource Development, Government of India for extending their cooperation to Council in its functioning and Ministry of Commerce and Industry, Govt.of India, NEIPA, FICCI, CII on assisting the Council on matters related to GATS of WTO. The Council also expressed its gratitude to the office bearers and members of the Council of Architecture, Experts, other professional bodies, practising architects and academicians for having offered their cooperation, guidance and advice for furthering the objectives of the Architects Act, 1972.

The Council expresses its gratitude to its Auditor, Counsel, Officers & employees and all those who have rendered useful services to it during the year 2002 –2003.

Vinod Kumar
Registrar

PRAKASH K. PRAKASH
CHARTERED ACCOUNTANTS

B-1, SAGAR APARTMENTS
6, TILAK MARG, NEW DELHI-110001
PHONE : 23382307, 23388753 TELEFAX : 91-11-23387377

AUDITOR'S REPORT

We have audited the anneked Balance Sheet of "COUNCIL OF ARCHITECTURE", India Habitat Centre, Core 6-A, Ist Floor, Lodhi Road, New Delhi - 110 003, as at 31st March, 2003 and also Income and Expenditure Account for the year ended on 31st March, 2003, with the books of account and vouchers produced before us and we report as follows:-

1. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

2. In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Council so far as appears from our examination of such books;

3. The Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with the report are in agreement with the books of accounts; and

4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said statement of account gives a true and fair view:-

   a) in the case of Balance Sheet of the state of affairs of the Council as at 31st March, 2003 and

   b) in the case of Income & Expenditure Account of the excess of Income over expenditure for the year ended on that date.

For PRAKASH K. PRAKASH
CHARTERED ACCOUNTANTS

(PRAKASH K.GUPTA
PARTNER.

Place : New Delhi
Dated : 28.07.2003

PRAKASH K. GUPTA
B. COM. F.C.A.

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(Incorporated under the Architects Act, 1972)
India Habitat Centre, Core-6A,First Floor, Lodi Road, New Delhi –110 003

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2003

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
RESERVES AND SURPLUS	2	1,09,29,514.50	1,08,76,666.20
EARMARKED FUNDS	3	3,45,49,965.00	2,16,91,665.00
UNSECURED LOANS	5	1,50,000.00	1,50,000.00
CURRENT LIABILITIES	7	24,08,758.49	43,02,557.02
TOTAL		**4,80,38,237.99**	**3,70,20,888.22**
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	57,16,792.20	56,33,113.62
INVESTMENTS – FROM EARMARKED FUNDS	9	2,93,50,970.00	1,89,50,970.00
INVESTMENT – OTHERS	10	47,70,000.00	49,70,000.00
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	11	82,00,475.79	74,66,804.60
TOTAL		**4,80,38,237.99**	**3,70,20,888.22**

for and on behalf of
THE COUNCIL OF ARCHITECTURE

(REGISTRAR)

(PRESIDENT)

In terms of our separate report of even date
for PRAKASH K.PRAKASH
Chartered Accountants

(PRAKASH K. GUPTA)
PARTNER

Place : New Delhi
Dated : 28.07.2003

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(Incorporated under the Architects Act,1972)
India Habitat Centre, Core-6A,First Floor, Lodi Road, New Delhi –110 003

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH, 2003

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Fees	14	53,49,580.00	33,33,900.00
Interest Earned	17	29,47,323.85	23,92,619.85
Income from Sale of Publication	16	1,93,312.50	95,912.00
Other Income	18	1,04,741.73	4,482.00
TOTAL (A)		**85,94,958.08**	**58,26,913.85**
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	21,98,100.00	21,69,952.40
Other Administrative Expenses	21	51,40,499.46	32,95,919.07
Depreciation	8	3,03,510.32	2,31,792.89
TOTAL (B)		**76,42,109.78**	**56,97,664.36**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		**9,52,848.30**	**1,29,249.49**
Transferred to Reserve and Surplus		**52,848.30**	**29,249.49**
BALANCE BEING SURPLUS CARRIED TO EARMARKED FUND (HBA/STAFF QTRS. FUND)		**9,00,000.00**	**1,00,000.00**

for and on behalf of
THE COUNCIL OF ARCHITECTURE

(REGISTRAR) (PRESIDENT)

In terms of our separate report of even date
for PRAKASH K.PRAKASH
Chartered Accountants

(PRAKASH K. GUPTA)
PARTNER

Place : New Delhi
Dated : **28.07.2003**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity : **COUNCIL OF ARCHITECTURE**

(Incorporated under the Architects Act, 1972)

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH 2003

(Amount - Rs.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balance			**I. EXPENSES**		
a) Cash In hand	15,250.00	6,600.00	a) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 20)	21,98,100.00	21,69,952.40
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses (corresponding to Schedule 21)	51,41,240.46	32,95,919.07
1) In Current Accounts	1,12,992.28	2,200.00			
2) Savings Accounts	16,29,022.17	28,36,141.26			
3) Drafts at Hand	3,44,512.00	1,02,760.00			
II Funds Received			**II. Payments made against funds for various Projects**		
a) Emergency Shelter Fund Receipts	-	97,79,534.00	a) Emergency Shelter Expenses	1,57,300.64	1,23,16,143.36
b) QIP Participation Fee	2,03,500.00	2,77,402.00	b) QIP Expenses	22,64,059.30	15,51,446.01
c) Evaluation/Inspection Fee	30,15,000.00	29,90,000.00	c) Evaluation & Inspection Charges	32,04,192.40	26,93,695.70
d) Advertisements for Directory of Architects	14,47,953.00	10,71,547.00	d) Directory of Architects-Expenses	26,23,271.00	4,19,248.00
e) Arbitration Fee	25,500.00	1,18,500.00	e) Arbitration Expenses	29,859.00	1,84,641.00
f) Identity Card Fee	16,380.00	321,60.00	f) Identity Card Expenses	13,317.00	44,078.00
g) Advance for Workshop from DUAC	96,950.00	1,20,150.00	g) Curriculum Activities Expenses	-	2,11,261.55
h) Grant in Aid for QIP	21,98,795.00	-	h) Temporary Shelter Development Expenses	-	3,03,940.40
III. Income on Investments from			i) Workshop Expenses	2,17,100.00	-
a) Earmarked/Endow. Funds	-	-	j) Inspection Charges (PG)	1,78,996.00	-
b) Own Funds (oth. Investment)	-	-			
IV. Interest Received			**III. Investments and deposits made**		
a) On Bank deposits	25,75,410.85	20,31,840.85	a) Out of Earmarked funds	1,49,50,970.00	67,50,000.00
b) Loans, Advances etc.	2,307.00	4,039.00	b) Out of Own Funds (Investments-Others)	15,00,000.00	-
c) On Savings Bank Account	25,404.00	13,776.00			
V. Fee Income			**IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress**		
a) Registration Fee	10,65,800.00	6,05,600.00	a) Purchase of Fixed Assets	4,54,429.00	1,88,543.00
b) Annual Renewal Fee	26,81,880.00	19,01,040.00			
c) Restoration Fee	14,92,800.00	7,72,700.00	**V. Other Payments**		
d) Duplicate Certificate Fee	87,200.00	54,560.00	a) TDS deducted by the Bank/Companies	1,36,932.00	1,13,822.00
e) Addl. Qualification Fee	200.00	-	b) Advances to Staff	10,80,300.00	24,44,860.00
f) Fine from Architects	21,700.00	-	c) Other Advances	5,62,965.50	4,36,617.38
VI. Other Income			d) Workshop Exp. Receivable from AICTE	-	1,25,554.00
a) Misc. Receipts	5,201.00	4,482.00	e) Part Fee on Account	81,005.00	-
b) Income from Publications	1,90,312.50	95,912.00	f) Interest Accrued on TDR	4,89,467.00	-
c) Royalty of Magazine	1,00,000.00	-			
d) TDS Refunded by I.Tax Department	1,05,998.00	-	**VI. Closing Balances**		
VII. Other Receipts			a) Cash in Hand	55,750.00	15,250.00
a) One Time Fee	1,19,58,300.00	88,68,550.00	b) Bank Balances :		
b) FDR's Matured during the Year	62,50,970.00	19,60,000.00	i) In Current Accounts	3,10,370.38	2,000.00
c) Sales of Equipments	5,921.27	700.00	ii) In Savings Bank Accounts	11,99,530.12	17,40,014.45
d) Part Fee on Account	-	5,71,770.00	iii) Drafts at Hand	2,80,518.00	3,44,512.00
e) Advances Recovered	14,50,835.00	11,29,534.21			
f) Sales of CD/Video Films	3,000.00	-			
g) Income from Sale of Assets	578.73				
TOTAL :	**3,71,29,672.80**	**3,53,51,498.32**	**TOTAL :**	**3,71,29,672.80**	**3,53,51,498.32**

for and on behalf of
THE COUNCIL OF ARCHITECTURE

(REGISTRAR) (PRESIDENT)

In terms of our separate report of even date
for PRAKASH K.PRAKASH
Chartered Accountants

(PRAKASH)

Place : New Delhi
Dated : **28.07.2003**

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004